7

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावकों की भूमिका

नरेश कुमार*

प्रत्येक युग एवं समय में शिक्षा का अपना विशेष महत्व रहा है। शिक्षा के द्वारा ही किसी बच्चे, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र आदि के विकास को गति प्रदान की जा सकती है। किसी भी प्रकार के ज्ञान एवं कौशल विकास के संदर्भ में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा शिक्षा के द्वारा अथवा माध्यम से ही बच्चे एवं व्यक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। यद्यपि बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अभिकरण एवं संस्थाएँ अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। लेकिन इस संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों की भूमिका को विशेष एवं उल्लेखनीय माना जा सकता है, क्योंकि ये बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में एक कड़ी एवं अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करते हुए उसके अधिगम से संबंधित मार्ग को प्रशस्त करते हैं तथा उसके जीवन को एक नई दिशा एवं आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार एवं विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में भी माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों की भूमिका का भी विस्तार हुआ है और यही विस्तार बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और मानव के विकास की आधारशिला है। इसके द्वारा न केवल बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है अपितु ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी आता है। शिक्षा व्यक्ति अथवा बच्चे के जीवन को प्रगतिशील बनाती है। इसके द्वारा ही व्यक्ति अथवा बच्चे अपनी बौद्धिकता, विचार-शक्ति, तर्क-शक्ति, कुशलता, मूल्यों, रुचियों एवं कौशलों आदि को विकसित करता है, अतः इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के संदर्भ में राज्य, विद्यालय, समुदाय, माता-पिता, अभिभावक अथवा संरक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यद्यपि बच्चे की शिक्षा को सीधे तौर पर विद्यालय के साथ जोड़कर देखा जाता है लेकिन यदि बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों की भूमिका के विषय में चर्चा की जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते

**प्रवक्ता*, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, ज़िलाः दक्षिण-पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

हैं। विद्यालय द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को व्यावहारिक जामा पहनाने तथा समाज के साथ उसको समायोजित करने का कार्य माता-पिता, अभिभावकों अथवा संरक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। माता-पिता एवं अभिभावक, बच्चे एवं विद्यालय के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इस कड़ी के माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा एवं जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मानव शरीर की रचना में विभिन्न अंगों का अपना महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे की शिक्षा में विद्यालय, समुदाय, साथी समूह, माता-पिता, अभिभावकों एवं संरक्षकों आदि का भी विशेष महत्व होता है।

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावकों आवश्यकता एवं महत्व

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता, अभिभावकों एवं संरक्षकों की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है—

- बच्चे के अंदर सामाजिक एवं नैतिक गुणों, मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करने के संदर्भ में।
- वातावरण एवं समाज के साथ बच्चे को सामाजिक समायोजन सिखाने एवं स्थापित करने के संदर्भ में।
- बच्चे को सामाजिक व्यवहार एवं आचरण की उचित शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में।
- बच्चे की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, कौशलों एवं दक्षताओं आदि का विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चे को भाषा के अनुप्रयोग में कुशल बनाने एवं उसका संवेगात्मक विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चे को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चे को विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों एवं संबंधों की महत्ता से परिचित कराने के संदर्भ में।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में उनके अंदर उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की भावना का विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चों की शिक्षा एवं अधिगम के संदर्भ में आवश्यकतानुसार उचित सहायता, अवसर एवं मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित करने के संदर्भ में।
- बच्चे का उचित मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करने तथा उनके अंदर नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास करने के संदर्भ में।

अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षकों के साथ हर साल कम-से-कम दो बार और उससे भी अधिक बार मिलने के लिए कहा जाएगा ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा को ट्रैक करने, प्रोत्साहित करने और उनका अनुकूलन करने में मदद कर सकें। शिक्षक भी नियमित रूप से बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, सीखने और प्रगति में अभिभावकों की भागीदारी को विकसित करने के प्रयास करेंगे। इसके लिए वे ऐसी वर्कशीट, गतिविधियाँ या असाइनमेंट देंगे, जो बच्चे घर पर अपने अभिभावकों की मदद से कर सकेंगे।

(प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019, पृष्ठ 81)

© NCERT not to be republished

- बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक ज्ञान तथा कुशलता प्रदान करने के संदर्भ में।
- बच्चे के आंतरिक गुणों एवं उसके व्यक्तित्व का उचित विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चे के अंदर स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उसका चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास करने के संदर्भ में।
- बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को व्यावहारिक एवं वास्तविक जामा पहनाने के संदर्भ में।
- बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान करने के संदर्भ में।
- बच्चों को अधिगम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं क्रियाकलापों से संबंधित संसाधनों की उपलब्धता में सहयोग एवं सहायता प्रदान करने एवं उनके अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, आदि।

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता को जागरूक एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सुझाव

बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता को कैसे जागरूक करें अथवा उनकी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए के संदर्भ में कुछ प्रमुख उपाय एवं सुझाव निम्नलिखित हैं—

- इस संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाए।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अभिभावक-अध्यापक संघों की स्थापना की जाए और जहाँ पर ये संघ पहले से ही स्थापित हैं वहाँ पर इन संघों को और अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाया जाए।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय, अध्यापक एवं माता-पिता तथा अभिभावकों के मध्य परस्पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित किया जाए।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक-अभिभावक मीटिंग की आवश्यकता एवं उसके महत्व को नए सिरे से बताया अथवा समझाया जाए तथा इस संदर्भ में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

> स्कूल को ऐसी संभावनाएँ अवश्य तलाश करनी चाहिए जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया में अभिभावकों और समुदाय को शामिल किया जा सके। इस रिश्ते से संस्थागत अधिगम की विषयवस्तु और शिक्षण विधि में मिलजुल कर काम करने में मदद मिलेगी।
>
> *(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृ.100)

- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित कराया जाए तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत की जाए।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों के ज्ञान एवं अनुभवों को विद्यालय एवं अध्यापकों के साथ साझा किया जाए तथा उन अनुभवों का प्रयोग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में किया जाए।
- माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों को बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में आवश्यकता के अनुरूप संसाधन व्यक्तियों के रूप में समय-समय पर अथवा अवसरानुकूल आमंत्रित किया जाए

© NCERT not to be republished

तथा शिक्षा में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए।

स्कूल, समुदाय को अपने परिसर में बुला कर बाहरी संसार को पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में एक भूमिका दे सकता है। अभिभावक और समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित अपना ज्ञान बाँट सकते हैं। उदाहरण के लिए, मशीनों के अध्याय में स्थानीय मैकेनिक को बुलाया जा सकता है, जो मशीन ठीक करने के अपने अनुभवों की जानकारी कक्षा में दें और यह भी बताएँ कि उन्होंने गाड़ी ठीक करना कैसे सीखा।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ. 99-100)

- विद्यालय में होने वाली समस्याओं और विवादों के प्रति अभिभावकों और अध्यापकों को एक साथ लाया जाए तथा शिक्षा में सुधार के लिए आपसी समन्वय एवं सहयोग को सुनिश्चित किया जाए।

विद्यालय में पैदा होने वाली समस्याओं और विवादों के प्रति अभिभावक और अध्यापकों को शांति का रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 'शांति के लिए शिक्षा' राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र 3.4, पृ. 32–33)

- बच्चे की शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास तथा 'शांति के लिए शिक्षा' के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा सरंक्षकों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए।

'शांति की शिक्षा' देने के लिए अध्यापकों और अभिभावकों की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ तथा अभिभावक-अध्यापक संबंधों को स्थापित एवं मज़बूत करना।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 'शांति के लिए शिक्षा' राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र 3.4, पृ. 32–33)

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावकों की भूमिका

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों की भूमिका को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है—

- माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास में स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों के द्वारा बच्चों के अंदर कर्तव्यनिष्ठा, सहनशीलता एवं आत्मविश्वास आदि से संबंधित गुणों का विकास करना।
- माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विकास को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा मानवतावादी एवं धर्म-निरपेक्षता से संबंधित दृष्टिकोण अपनाना।
- विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास योजना में बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में

© NCERT not to be republished

माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना एवं इनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना।

- माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में सर्वधर्म सम्भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाना।
- विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों एवं अवसरों के संदर्भ में बच्चों एवं समाज में अहिंसा, समूह भावना, बंधुत्व, परस्पर सहयोग, सहनशीलता एवं शांति के लिए शिक्षा आदि से सबंधित मूल्यों का माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा बच्चों के अंदर विकास करना।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में माता-पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षकों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान, मूल्यों एवं विचारों से परिपूर्ण करना तथा इनके प्रति एक सकारात्मक, आशावादी एवं अभिप्रेरित दृष्टिकोण विकसित किया जाना।

बच्चों की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावकों की भूमिका से संबंधित अनुशंसाएँ एवं प्रावधान

***राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के संदर्भ में बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान**— स्कूल निर्देशित शिक्षा का स्थान होता है, लेकिन ज्ञान के सृजन में तो निरंतरता होती है अतः वह स्कूल के बाहर भी होता रहता है। अगर अध्ययन सतत है, और वह स्कूल के बाहर यानि घर में, कार्यस्थल में, समुदाय आदि में भी होता है। ऐसे में फिर गृहकार्य का नियोजन भी अलग तरीके से किया जाना चाहिए। गृहकार्य ऐसा न हो कि अभिभावक स्कूल के काम का दोहराव ही करवाते रहें। इसमें अलग तरह की गतिविधियाँ बच्चों के करने के लिए हों, जो वे स्वयं कर पाएँ या अपने अभिभावकों की मदद से कर पाएँ। इससे अभिभावकों को यह बेहतर रूप से समझने का मौका मिलेगा कि उनका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है और बच्चों को खोजबीन करने में और स्कूल के बाहर की दुनिया को सीखने का स्रोत मानने में शुरुआती प्रोत्साहन मिलेगा।

स्कूल को ऐसी संभावनाएँ अवश्य तलाश करनी चाहिए जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया में अभिभावकों और समुदाय को शामिल किया जा सके। इस रिश्ते से संस्थागत अधिगम की विषयवस्तु और शिक्षण विधि में मिलजुल कर काम करने में मदद मिलेगी।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ. 100)

सभी स्कूलों को ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जिनसे अभिभावकों की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहन मिले और वह बरकरार रह पाए।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ.100)

स्कूल के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाने के क्रम में और अभिभावकों और स्थानीय समाज से स्कूल के संबंध को मज़बूत बनाने के खयाल से कई स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ, स्थानीय स्तर की समितियाँ और पूर्व विद्यार्थियों के संघ जैसे संस्थागत ढाँचे हैं। राष्ट्रीय उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों या खेलकूद के आयोजन में भी अभिभावकों को भागीदारी के लिए बुलाया जाता है।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ. 100)

© NCERT not to be republished

स्कूल को समुदायों के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनकी आशंकाओं को सुनना चाहिए और उन्हें ऐसे निर्णयों के शैक्षणिक मूल्यों के बारे में समझाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि शिक्षकों को पता हो कि क्यों किसी चीज़ को शामिल किया गया और किसी को क्यों नहीं। साथ ही, उनको इन मुद्दों को लेकर अभिभावकों का विश्वास भी अर्जित करना होगा कि बच्चे कक्षा में घर की भाषा का प्रयोग करें।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ. 37–38)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 'शांति के लिए शिक्षा' राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र के संदर्भ में

'शांति की शिक्षा' के संदर्भ में अभिभावक-अध्यापक सहभागिता— पाठ्यचर्या के ज़्यादा परिष्कृत होने का दुखद परिणाम यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के अकादमिक निर्माण से अलग होते जा रहे हैं– इससे बच्चों और अभिभावकों में संस्कृति चलित अलगाव बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी शिक्षा में अभिभावक-अध्यापक सहभागिता के महत्व पर भाषण दिए जाने का चलन जारी है। असल में, बच्चे के शुरूआती विद्यालय जीवन के बाद अभिभावकों की सहभागिता एकदम कम हो जाती है। विद्यालय के बाद के समय में 'ट्यूशन और होमवर्क' के बढ़ते बोझ के कारण बच्चे घर में मेहमानों जैसे रहते हैं। अकादमिक उपलब्धियों के अत्यधिक बोझ के चलते अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने अभिभावक-बच्चे के संवाद को सिर्फ़ औपचारिकता बनाकर रख दिया है। बच्चों को अकादमिक *इन्क्यूबेटर्स* में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वे वास्तविकता से अछूते और जीवन के प्रवाह से बहुत दूर रहते हैं। इसमें 'शांति के लिए शिक्षा' कुछ अलग कर परिवर्तन ला सकती है। सीखने की प्रक्रिया में शांति सरोकारों का समावेश करना और फिर इसे कक्षाओं तक ही सीमित रखना संभव नहीं है। शिक्षकों को यह जानना होगा कि उन्हें उस नींव का निर्माण करना है जिसे अभिभावकों ने रखा है। उन्हें यह जानना होगा कि अभिभावक मददगार और ज़रूरी सहयोगी हो सकते हैं। शांति के मूल्यों और समस्या हल करने की विधियों को कक्षा में सिखाया जाना चाहिए जिनको पुनः घर में न केवल दोहराया जाए बल्कि इनकी पुष्टि घर पर ही की जानी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में रिश्तों संबंधी अभिभावकों की भागीदारी बढ़ने से घर के जीवन की भावात्मक गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। आज उच्च एवं मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों से बढ़ते अलगाव को लेकर अत्यधिक चिंता व्याप्त है। इसलिए 'शांति के लिए शिक्षा' द्वारा प्रदान कराए जाने वाले अवसरों का उन्हें स्वागत करना चाहिए।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 'शांति के लिए शिक्षा', राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र 3.4, पृ. 28–29)

शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में

प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

(निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, अध्याय 3, अनुभाग 10, माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य)

© NCERT not to be republished

21(1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बच्चों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा– परंतु ऐसी समिति के कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे; परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, परंतु यह कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात–

1. विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनीटर करना।
2. विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफ़ारिश करना।
3. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और
4. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ।

(निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, अध्याय-4, अनुभाग 21 (1 एवं 2), विद्यालय प्रबंध समिति।)

***प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के संदर्भ में* अभिभावकों की भागीदारी का महत्व**— कई शैक्षिक अनुसंधान बच्चों की शिक्षा पर घर के वातावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। अभिभावकों की साक्षरता, संख्याज्ञान, या शैक्षिक स्थिति की परवाह किए बिना उनके बच्चों के सीखने को अनुकूलित करने में उनका सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षकों के साथ हर साल कम-से-कम दो बार और उससे भी अधिक बार मिलने के लिए कहा जाएगा ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा को ट्रैक करने, प्रोत्साहित करने और उनका अनुकूलन करने में मदद कर सकें। शिक्षक भी नियमित रूप से बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, सीखने और प्रगति में अभिभावकों की भागीदारी को विकसित करने के प्रयास करेंगे। इसके लिए वे ऐसी वर्कशीट, गतिविधियाँ या असाइनमेंट देंगे जो बच्चे घर पर अपने अभिभावक की मदद से कर सकेंगे।

(प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 12, पृ. 81)

घर में ही शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान— गंभीर दिव्यांगता और गहरी विकलांगता वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिससे वे एनआईओएस (NIOS) जैसी सुविधा के जरिये स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। प्राथमिकता इस बात की होगी कि माता-पिता/देखभाल-कर्ताओं का अभिमुखीकरण हो और व्यापक स्तर पर पठन-पाठन सामग्री का प्रसार किया जाए जिससे माता-पिता/देखभाल-कर्ता बच्चों की शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकें।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्लू.एस.एन.) के लिए समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम सी.डब्लू एस.एन. के लिए बने संसाधन केंद्र और इच्छुक गैर-सरकारी संस्थाएँ (एन.जी.ओ.) और स्वयंसेवी संगठनों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित

© NCERT not to be republished

किये जाएँगे। समावेशी शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक लामबंदी, सी.डब्लू.एस.एन. की त्वरित पहचान और आकलन के कार्य में स्थानीय संसाधन केंद्रों एन.जी.ओ. को शामिल किया जाएगा।

(प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019, 8.6, पृ. 215)

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का मौलिक अधिकार है और यह सिर्फ़ मौलिक अधिकार ही नहीं अपितु यह तो उसके जीवन का आधार भी है। शिक्षा ही बच्चे को सभ्य एवं विचारशील बनाती है तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार करती है। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि इसमें माता-पिता एवं अभिभावक की निरंतर एवं महत्वूपर्ण भूमिका होती है। यह भूमिका बच्चे की शिक्षा एवं उसके व्यक्तित्व के उचित विकास के संदर्भ में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकती है। बच्चे की शिक्षा में माता-पिता एवं अभिभावक एक कड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य अथवा अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और यह कड़ी बच्चे के जीवन, उसकी शिक्षा, चरित्र एवं भविष्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

संदर्भ

भारत सरकार. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम* 2009.

———. *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 (1992) में संशोधित*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

मित्तल, एम. एल. 2003. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा*. लायल बुक डिपो. मेरठ.

यादव, नरेश कुमार. 2012. *शिक्षा के दार्शनिक एक समाजशास्त्रीय आधार*. आरोही पब्लिकेशन. नयी दिल्ली.

यूनीसेफ. 2011. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न*. संयुक्त राष्ट्र बाल कोश, यूनीसेफ हाउस. 73 लोदी एस्टेट, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2010. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें*. राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार-पत्र. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2010. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृ.सं. 99-100. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2010. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. शांति के लिए शिक्षा*. राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र-2005. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished